<u>न्यायालय उपखण्ड अधकारी भादरा, जिला हनुमानगढ</u>

<u>पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस</u>

प्रकरण सं. : 116/2017

अनवान :

राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री दुनीराम जाति जाट निवासी गांव गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- **प्रार्थी**

<u>बनाम</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- **अप्रार्थी**

<u>प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड में नाम दुरूस्ती</u>
<u>अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट</u>

उपस्थित : वकील श्री राजेश बैनीवाल **: प्रार्थी**
पेरोकार राज : **अप्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 26.2.18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर की खाता सं0 131/42 की कुल 1.2650 है0 कृषि भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी के उपर वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम राजेन्द्रसिंह की बजाये राजाराम दर्ज हो गया। प्रार्थी का घरेलु नाम राजाराम होने के कारण व प्रार्थी के बुजुर्ग अनपढ व ग्रामीण व्यक्ति होने के कारण प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्रसिंह की बजाये राजाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के परिवार राशन कार्ड वोटरलिस्ट, फोटो पहचान पत्र बैंक पास बुक एवं अन्य समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्रसिंह दर्ज है।

प्रार्थी का नाम उपरोक्त जमाबन्दी में राजेन्द्रसिंह की बजाए राजाराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी की चक 5 एसडीआर में अन्य खातेदारी कृषि भूमि थी जिसमें भी प्रार्थी का नाम राजाराम के स्थान पर राजेन्द्रसिंह माननीय न्यायालय के आदेश से दुरूस्त किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब पेश किया।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता सं0 131/42 में प्रार्थी का नाम राजाराम की बजाय राजेन्द्रसिंह दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो चित्रप्रति आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड पेश की है उनमें प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह अंकित है एवं सरपंच ग्राम पंचायत गांधीबडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी का वास्तविक नाम राजेन्द्रसिंह वल्द दुनीराम होना अंकित किया है। प्रार्थी ने अपने शपथ में भी इस अपना वास्तविक नाम राजेन्द्र सिंह होना जाहिर किया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन प्रस्तुत नहीं है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर को खाता सं0 131/42 की कुल 1.2650 है0 कृषि भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में प्रार्थी का नाम राजाराम के स्थान पर राजेन्द्रसिंह दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.2.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, भादरा

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ